Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 23, 2012
(BHADRA 1, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 23rd August, 2012

No. 19-HLA of 2012/47.— The Haryana Private Technical Educational Institution (Regulation of Admission and Fee) Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 19— HLA of 2012

THE HARYANA PRIVATE TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTION (REGULATION OF ADMISSION AND FEE) BILL, 2012

A

Bill

to provide for regulation of admission and fee for technical courses run by a private technical educational institution in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. This Act may be called the Haryana Private Technical Educational Institution (Regulation of Admission and Fee) Act, 2012. Short title.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "aided technical educational institution" means a private technical educational institution, other than a minority institution including a university, receiving aid or grant-in-aid or assistance in whole or in part from the State Government or the Central Government or any other local authority;

(b) "Committee" means a State Committee, constituted by the State Government under section 3 of this Act for regulation of admission and fee in private technical educational institution;

(c) "common entrance test" means an entrance test conducted by the State Government or any agency authorized by it, or an all India test recognized by the State Government, for admission to a technical course run by a private technical educational institution;

(d) "Council" means a statutory body by whatever name called, constituted under an Act of the Parliament for regulating a technical course;

(e) "Director General" means the Director General, Technical Education, Haryana;

(f) "fee" means all kind of fee chargeable by a private technical educational institution from student, by whatever name called, including inter alia admission fee, tuition fee, development charges, transport charges, hostel charges, mess charges etc.;

(g) "management category" means a category of seats comprising such seats out of sanctioned intake of students in a private technical educational institution, as may be allocated by the State Government to the management;

(h) "minority institution" means a private technical educational institution established and administered by a minority;

(i) "minority" means a community declared as such by the State Government, by notification;

(j) "open merit category seats" means a category of seats except the seats allotted to management category;

(k) "private technical educational institution" means an institution offering a technical course and run by an individual, firm, company, association of persons, body of individuals, trust, society or any other legal entity and includes a private university established and incorporated by an Act of the Legislature or deemed to be university, defined under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956;

(l) "qualifying examination" means an examination, passing of which is mandatory for a student to get admission to a technical course in a private technical educational institution;

(m) "sanctioned intake" means and implies the total number of seats notified by the competent authority for admitting students in each technical course of study in a private technical educational institution;

(n) "State Board of Technical Education" means State Board of Technical Education established under section 6 of Haryana State Board of Technical Education Act, 2008 (Act No.19 of 2008);

(o) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department of technical education;

(p) "technical course" means a course of study recognized and prescribed by the All India Council for Technical Education, Pharmacy Council of India or Council of Architecture and also includes all such other courses as the State Government or Central Government may declare by an order to be a technical course.

CHAPTER II

THE COMMITTEE

CONSTITUTION, FUNCTIONS, POWERS AND DISQUALIFICATION

Constitution of committee.

3. (1) The State Government shall constitute a committee for regulating admission and fee charged for a technical course by a private technical educational institution in the State of Haryana consisting of following, namely:-

(i) a Chairperson, who shall be a retired Judge of Hon'ble Supreme Court / Hon'ble High Court or former Vice Chancellor of a University or has experience in public administration at senior position;

(ii) Director General Technical Educational (ex-officio) Member Secretary;

(iii) a Chartered Accountant of repute as member;

(iv) a person having wide experience in the administration of Technical Education as member;

(v) an academician not below the rank of Professor in Engineering or Management as member.

Appointment of Chairperson and Members and their terms and conditions.

4. (1) The Chairperson and Members of the Committee shall be appointed by the State Government.

(2) The Chairperson and Members except ex-officio Member shall hold office for a period of three years or till the attainment of age of seventy years whichever is earlier and, in case of any vacancy arising earlier on account of resignation or removal or attaining the age of 70 years or otherwise, the State Government may fill such vacancy for the remaining period of the term.

(3) The terms and conditions of the appointment of the Chairperson and Members other than ex-officio Member shall be such as may be prescribed.

Resignation.

5. The Chairperson and the member may resign from his office by giving a notice in writing under his hand addressed to the State Government.

Vacancy not to invalidate proceedings.

6. No act or proceedings of the Committee shall be deemed to be invalid merely by reason of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Committee.

Disqualifications.

7. No person shall be eligible for appointment or continue as a Chairperson or member, if he,-

(i) has been associated with a private technical educational institution; or

(ii) has been declared by the competent court to be of unsound mind; or

(iii) is an undischarged insolvent; or

(iv) has been convicted by any court for an offence involving moral turpitude.

Removal of Chairperson and members.

8. The Chairperson or any member of the Committee may be removed by the State Government before the expiry of his term, if he performs any act, which, in the opinion of the Government is unbecoming of the Chairperson or a member of the Committee:

Provided that the Chairperson or a member shall not be removed by the State Government, without giving an opportunity of being heard.

Members of Committee, officers and employees to be public servants.

9. The Chairperson, members, officers and employees of the Committee while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or rules made thereunder, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860).

Functions.

10. Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, the Committee shall regulate the admission process and the fee structure for a technical course in a private technical educational institution in the State of Haryana and the matters connected therewith and incidental thereto.

Powers.

11. (1) The Committee shall have powers to,-

(i) require any private technical educational institution to place before it, the proposed fee structure for such institution along with all the relevant documents and the books of accounts;

(ii) verify whether the fee structure proposed by such institution is justified;

(iii) approve the fee structure for such institution or determine a different fee which shall be charged by such institution for different courses run by it :

Provided that the Committee shall also approve the fee structure for technical courses run by the aided technical educational institution in case the said institution is not receiving any aid for the said course.

(2) The Committee may frame its own procedure for the conduct of its proceedings.

(3) The fee structure so determined by the Committee shall be binding on the private technical educational institution for a period of three years and the same fee shall continue further if the private technical educational institution does not approach the Committee for revision.

(4) The fee determined by the Committee shall be applicable to a student who is admitted in a technical course in an academic year and shall not be revised for him till the completion of his course in that private technical educational institution.

(5) A private technical educational institution shall not be allowed to charge or collect any fee other than the fee determined by the Committee under sub-section (1) and shall not be allowed to collect the fee at a time, more than the fee of one term from a student in an academic year.

Power of making inquiry.

12. (1) The Committee, for the purpose of making inquiry under this Act, shall have same powers as a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. 5 of 1908) while trying a suit, in respect of the following matters, namely:-

(i) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;

(ii) requiring the discovery and production of any document(s);

(iii) receiving evidence on affidavit; and

(iv) appointing Commission for examination of witness or for local inspection;

(2) Any proceeding before such Committee shall be deemed to be judicial proceeding for the purpose of section 196 of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860).

CHAPTER III

ADMISSIONS

Admission, eligibility, allocation of seats, manner of admission, minimum qualifying standard for admission.

13. (1) The Committee shall regulate the admissions in a technical course run by a private technical educational institution, made on the basis of the merit secured by the student in the Common Entrance Test or by any other method prescribed by the Government.

(2) The eligibility for admission to a technical course in a private technical educational institution shall be such as may be decided by the State Government.

(3) The State Government may, by order, allocate seats for management category out of sanctioned intake, in private technical educational institution, other than minority institution.

(4) A private technical educational institution-

(i) shall make admission to a technical course under the open merit category, on the basis of the Common Entrance Test or the procedure as may be prescribed by the State Government; and

(ii) may make admission to a seat under the management category, by directly receiving applications from persons who have passed qualifying examination and after following a transparent process of determining inter-se merit or any other method, as may be prescribed by the State Government for a private technical educational institution or category of technical courses or category of such institutions.

(5) No student shall be admitted in a technical course unless he fulfills the eligibility criteria including the minimum qualifying marks as prescribed by the State Government.

Void admission

14. Every admission to a technical course in a private technical educational institution shall be made in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder and every admission made in contravention thereof, shall be void.

Reservation of seats.

15. The State Government may, direct a private technical educational institution to make reservation of seats in admission to various technical courses in the manner, as may be prescribed from time to time.

CHAPTER IV

FIXATION OF FEE

Fee.

16. (1) Every private technical educational institution shall propose its fee structure for each course separately on the basis of the guidelines issued by the Committee and the proposed fee structure shall be examined, approved and regulated by the Committee and the same shall be binding on such institution.

(2) Different fee structure may be determined for different courses and for different institutions.

(3) In case a private technical educational institution does not propose its fee structure, the provisional fee structure as decided by the Committee shall be applicable to such institution.

Factors for determination of fee.

17. (1) The fee shall be so fixed as to recover the actual cost of imparting education on recurring basis. While assessing the fee, inter-alia, the following expenses are to be taken into account, namely:-

(a) establishment cost of faculty and supporting staff;

(b) operation and maintenance charges;

(c) fee charged by Council, affiliating university and Haryana State Board of Technical Education;

(d) development fee to serve the following purposes, namely:-

(i) laying and up-gradation of infrastructure;

(ii) betterment and growth of the institution; and

(iii) special amenities to the students;

(e) other miscellaneous charges, such as hostel fee, mess charges and transport charges, etc.:

Provided that services and facilities such as hostel, mess and transport shall be provided on no profit no loss basis.

(2) Before determining fee, the private technical educational institution, parents or guardians and representatives of students already studying therein shall be given a reasonable opportunity to express their view point in writing with respect to the determination of fee.

Prohibition of capitation fee.

18. No private technical educational institution shall charge or collect or cause to be charged or collect capitation fee on its behalf from any student or his relative in consideration of his admission to or continuance in any technical course of study in such institution.

CHAPTER V

MAINTENANCE OF ACCOUNTS BY INSTITUTION

Maintenance of accounts.

19. (1) Every private technical educational institution shall maintain accounts on the basis of accounting principles applicable to non-business organization, not for profit organization that is it shall keep the accounts on "Fund Based Accounting", under accrual basis of accounting.

(2) A private technical educational institution may charge development fee not exceeding fifteen percent of the total amount of tuition fee.

The development fee shall be treated as capital receipt and shall be collected only if the institution maintains the "Depreciation Reserve Fund" equivalent to the depreciation charges in the revenue accounts.

(3) The society, trust, organization, association of persons, company, firm or any legal entity owning the private technical educational institution shall be required to maintain separate accounts for the society, trust, organization, association of persons, firm and the institution. as the case may be. If the society, trust, organization, association of persons, company, firm or any legal entity owning the private technical educational institution. is running more than one institution, then separate accounts shall be maintained for each institution.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

Act to have overriding effect.

20. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law for the time being in force.

Action for contravention of provisions of Act.

21. (1) Where the Director General, on receipt of any complaint or otherwise, is satisfied after due inquiry, that a private technical educational institution has charged capitation fee or fee in excess of the fee determined by the Committee, it may-

(i) direct the concerned institution to refund the capitation fee or the fee charged in excess of the fee determined by the Committee, as the case may be;

(ii) direct the concerned institution to refund the fee in case where the student withdraws from the course as per norms of Council /State Government;

(iii) recommend to the State Government, university concerned or Council or the statutory authority for taking appropriate action against such institution.

(2) Before taking any action or passing an order, the Director General shall provide a reasonable opportunity of being heard to the private technical educational institution.

Imposition of fine.

22. (1) Where the Director General, on receipt of any complaint or suo-motu, is satisfied after due inquiry, that a private technical educational institution has contravened or violated any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, then a fine of rupees five lakh shall be imposed on such institution and for every subsequent violation of this Act a fine of rupees ten lakh shall be imposed which if not paid, shall be recoverable as arrears of land revenue.

(2) Before taking any action or passing an order under sub-section (1) above, the Director General shall provide a reasonable opportunity of being heard to such institution.

23. Any person or private technical educational institution aggrieved by any direction or order passed under sections 21 or 22 of this Act, may file an appeal to the State Government within a period of thirty days from such order or direction. Appeal.

24. No civil court shall have jurisdiction to entertain and try any suit or proceedings in respect of anything done, action taken or order or direction issued by the State Government, Committee, Director General, or its officers in pursuance of powers conferred by or in relation to any of the functions under this Act. Bar of Jurisdiction.

25. The State Government may, from time to time, issue such directions not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder, to any Institution or the Committee or the officer or official connected with the affairs of the Committee, as it may deem fit, for the purpose of carrying out the provisions of this Act, rules or orders made thereunder and the Institution or the Committee or the officer or official shall be bound by such direction. Power to give directions.

26. The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.

27. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order to be published in the Official Gazette, make such provision or give such directions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty: Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

28. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State of Haryana or any officer of the State Government or the Committee, for anything which is done in good faith or intended to be done under this Act. Protection of action taken in good faith.

29. From the date of the commencement of this Act, all executive instructions issued by the State Government in respect of admissions and fee regulation in all private technical educational institutions except minority institutions of the State of Haryana shall stand superseded: Supersession and savings

Provided that notwithstanding such supersession anything done or action taken under the instructions shall be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act and shall remain in force till the Committee constituted under this Act modifies the same.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per judgement of the Hon'ble Supreme Court of India in 'TMA Pai & others versus State of Karnataka & others' dated 31.10.2002 and judgement in 'Islamic Academy of Education & Others versus State of Karnataka & others' dated 14.8.2003, it was held that the admission to private institutions should be done in a fair and transparent manner. Besides, the fee structure should be determined by the State so that there is no profiteering. While doing so, the interest of the students and needs of the institutions should be kept in mind. For regulating the admission and fee of the private technical educational institution an Admission and Fee Committee was constituted on 21.11.2003. As per directions of the Hon'ble Supreme Court in 'TMA Pai case' judgement dated 31.10.2002 and in 'PA Inamdar case' judgement dated 12.8.2005, it was held that State should pass appropriate legislation for regulation of admissions and fee structure of private institutions and till that time the interim Committee could perform such functions. The term of the Committee expired on 17.09.2011. Therefore, in compliance with the aforementioned judgements of the Hon'ble Supreme Court, it is highly imperative to pass a law for regulation of admission and fee and maintenance of education standards in private technical educational institutions in the State of Haryana.

Hence this Bill.

MAHENDER PARTAP SINGH,
Technical Education Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 23rd August, 2012.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As per section 22 of the Haryana Private Technical Educational Institution (Regulation of admission and fee) Bill, 2012 a provision has been made for imposition of fine on a private technical educational institution as follows :-

Where the Director General, on receipt of any complaint or suo-motu, is satisfied after due inquiry, that a private technical educational institution has contravened or violated any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, then a fine of rupees five lakh shall be imposed on such institution and for every subsequent violation of this Act a fine of rupees ten lakh shall be imposed.

As provision has been made only for imposition of fine, no estimation of income to be deposited in the treasury can be made.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 26 of the proposed bill empowers State Government to frame Rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2012 का विधेयक संख्या 19-एच०एल०ए०

हरियाणा निजी तकनीकी शिक्षण संस्था (प्रवेश तथा शुल्क विनियमन) विधेयक, 2012

हरियाणा राज्य में निजी तकनीकी शिक्षण संस्था द्वारा चलाये जा रहे तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश तथा शुल्क के विनियमन के लिए तथा उससे सम्बद्ध या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी तकनीकी शिक्षण संस्था (प्रवेश तथा शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2012, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं।

(क) "सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्था" से अभिप्राय है, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण से पूर्ण रूप में या अंशतः मदद या सहायक अनुदान या सहायता प्राप्त कर रहे विश्वविद्यालय सहित अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न कोई निजी तकनीकी शिक्षण संस्था ;

(ख) "समिति" से अभिप्राय है, निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में प्रवेश तथा शुल्क के विनियमन के लिए इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य समिति;

(ग) "सामूहिक प्रवेश परीक्षा" से अभिप्राय है, राज्य सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा, या निजी तकनीकी शिक्षण संस्था द्वारा चलाये जा रहे तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय परीक्षा ;

(घ) "परिषद" से अभिप्राय है, तकनीकी पाठ्यक्रम को विनियमित करने के लिए संसद के किसी अधिनियम के अधीन गठित चाहे किसी भी नाम से ज्ञात, वैधानिक निकाय ;

(ङ.) "महानिदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक तकनीकी शिक्षा, हरियाणा ;

(च) "शुल्क" से अभिप्राय है, अन्य बातों के साथ-साथ प्रवेश शुल्क, शिक्षा शुल्क, विकास प्रभार, परिवहन प्रभार, छात्रावास प्रभार, मेस प्रभार इत्यादि सहित चाहे किसी नाम से भी ज्ञात, छात्र से निजी तकनीकी शिक्षण संस्था द्वारा प्रभार्य सभी प्रकार का शुल्क ;

(छ) "प्रबन्धन प्रवर्ग" से अभिप्राय है, किसी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में छात्रों की स्वीकृत भर्ती में से ऐसे स्थान, जो राज्य सरकार द्वारा, प्रबन्ध के लिए आबंटित किये जाएं समाविष्ट स्थानों का प्रवर्ग;

(ज) "अल्पसंख्यक संस्था" से अभिप्राय है, किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित तथा प्रशासित कोई निजी तकनीकी शिक्षण संस्था ;

(झ) "अल्पसंख्यक" से अभिप्राय है, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा ऐसे रूप में घोषित समुदाय ;

(ञ) "खुली मैरिट प्रवर्ग स्थान" से अभिप्राय है, प्रबन्धन प्रवर्ग को आबंटित स्थानों के सिवाय, स्थानों का प्रवर्ग ;

(ट) "निजी तकनीकी शिक्षण संस्था" से अभिप्राय है, तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली तथा किसी व्यक्तिक, फर्म, कम्पनी, व्यक्तियों की संस्था, व्यष्टि निकाय, न्यास, सोसाइटी या किसी अन्य विधिक अस्तित्व द्वारा चलाई जा रही कोई संस्था तथा इसमें विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित तथा निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन परिभाषित समझा गया कोई विश्वविद्यालय भी शामिल है ;

(ठ) "अर्हता परीक्षा" से अभिप्राय है, कोई परीक्षा, जो किसी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए किसी छात्र के लिए पास करनी अनिवार्य है ;

(ड) "स्वीकृत भर्ती" से अभिप्राय है तथा इसमें समाविष्ट है किसी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में प्रत्येक तकनीकी अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश पाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित स्थानों की कुल संख्या ;

(ढ) "राज्य तकनीकी शिक्षा बोड" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्या, 19) की धारा 6 के अधीन स्थापित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड;

(ण) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, तकनीकी शिक्षा के प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(त) "तकनीकी पाठ्यक्रम" से अभिप्राय है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय भेषजी परिषद या वास्तुशिल्प परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त तथा विहित अध्ययन पाठ्यक्रम तथा इसमें सभी ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी शामिल हैं जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा तकनीकी पाठ्यक्रम के रूप में घोषित करे।

अध्याय II

समिति
गठन, कर्त्तव्य, शक्तियां तथा निरर्हता

समिति का गठन।

3. (1) राज्य सरकार, हरियाणा राज्य में निजी तकनीकी शिक्षण संस्था द्वारा तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश विनियमित करने तथा शुल्क प्रभारित करने के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए समिति गठित करेगी, अर्थात् :-

(i) अध्यक्ष जो माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी विश्वविद्यालय का पूर्व उपकुलपति होगा या वरिष्ठ हैसियत में लोक प्रशासन में अनुभव रखता हो ,

(ii) महानिदेशक तकनीकी शिक्षा (पदेन) सदस्य--सचिव ;

(iii) सदस्य के रूप में विख्यात चार्टर्ड एकाउंटेट ;

(iv) सदस्य के रूप में तकनीकी शिक्षा प्रशासन में वृहत् अनुभव रखने वाला व्यक्ति ;

(v) सदस्य के रूप में अभियान्त्रिकी या प्रबन्धन में आचार्य के पद से अन्यून कोई अकादमीशियन।

अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति तथा उनके निबन्धन तथा शर्तें।

4. (1) समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(2) पदेन-सदस्य के सिवाय अध्यक्ष या सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने तक जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे तथा, त्यागपत्र या हटाए जाने या सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने के मद्दे या अन्यथा से पूर्व कोई रिक्ति होने की दशा में, राज्य सरकार शेष पदावधि के लिए ऐसी रिक्ति भरेगी।

(3) पदेन-सदस्य से भिन्न अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

त्याग-पत्र।

5. अध्यक्ष तथा सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में नोटिस देते हुए अपना पद त्याग सकता है।

रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

6. समिति के कोई कृत्य या कार्यवाहियां, केवल किसी रिक्ति, या समिति के गठन में कोई त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएंगी।

निरर्हताएं।

7. कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति या बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह, –

(i) निजी तकनीकी शिक्षण संस्था से सम्बद्ध हो गया है; या

(ii) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किया गया है; या

(iii) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iv) किसी नैतिक अधमता वाले अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है।

अध्यक्ष तथा सदस्यों का हटाया जाना।

8. समिति के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को राज्य सरकार द्वारा उसकी अवधि की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है, यदि वह कोई कृत्य करता है, जो सरकार की राय में समिति के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को अनुपयुक्त बनाता है :

परन्तु अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को राज्य सरकार द्वारा सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं हटाया जाएगा।

समिति के सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

9. समिति के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा कर्मचारी इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य अथवा तात्पर्यित कार्य करते समय भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45), की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे।

कृत्य।

10. तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समिति, हरियाणा राज्य में निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क संरचना तथा उससे सम्बद्ध तथा उनसे आनुषंगिक मामलों को विनियमित करेगी।

शक्तियां।

11. (1) समिति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी,–

(i) सभी सुसंगत दस्तावेजों तथा लेखा पुस्तकों सहित ऐसी संस्था के लिए प्रस्तावित शुल्क संरचना को इसके सम्मुख रखने के लिए किसी प्राइवेट तकनीकी शिक्षण संस्था से अपेक्षा करने;

(ii) सत्यापित करना कि क्या ऐसी संस्था द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना न्यायसंगत है;

(iii) ऐसी संस्था के लिए शुल्क संरचना का अनुमोदन करना अथवा विभिन्न शुल्क का अवधारण करना, जो ऐसी संस्था द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए इसके द्वारा प्रभारित किया जाएगा :

परन्तु समिति सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्था द्वारा चलाए जा रहे तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क संरचना का भी अनुमोदन करेगी यदि उक्त संस्था उक्त पाठ्यक्रम के लिए कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रही है।

(2) समिति, अपनी कार्यवाहियों के संचालन के लिए इसकी अपनी प्रक्रिया बनाएगी।

(3) समिति द्वारा इस प्रकार अवधारित शुल्क संरचना तीन वर्ष की अवधि के लिए निजी तकनीकी शिक्षण संस्था पर बाध्य होगी तथा वही शुल्क आगे भी जारी रहेगा यदि निजी तकनीकी शिक्षण संस्था पुनरीक्षण के लिए समिति को पुनः प्रस्ताव नहीं करती है।

(4) समिति द्वारा अवधारित शुल्क ऐसे छात्र पर लागू होगा जिसका किसी शैक्षिक वर्ष में तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश हो गया है तथा उस निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में उसके पाठ्यक्रम के पूरा होने तक उसके लिए पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा।

(5) कोई निजी तकनीकी शिक्षण संस्था उपधारा (1) के अधीन समिति द्वारा अवधारित शुल्क से भिन्न कोई शुल्क प्रभार करने या संग्रहण करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगी तथा किसी शैक्षिक वर्ष में छात्र से एक अवधि शुल्क से अधिक एक बार मे शुल्क संग्रहण करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगी।

जांच करने की शक्तियां।

12. (1) समिति को इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में किसी वाद के विचारण के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 5) के अधीन सिविल न्यायालय के रूप में वही शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(i) किसी साक्षी को समन करने तथा हाजिर करवाने तथा शपथ पर उसका परीक्षण करने;

(ii) किसी दस्तावेज (दस्तावेजों) का प्रकटीकरण तथा प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करने;

(iii) शपथ--पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने; तथा

(iv) साक्षी की परीक्षा के लिए अथवा स्थानीय निरीक्षण हेतु आयोग नियुक्त करने।

(2) ऐसी समिति के सम्मुख कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45), की धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

अध्याय III

प्रवेश

प्रवेश, पात्रता, स्थानों का आबंटन, प्रवेश की रीति, प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हक मानक।

13. (1) समिति, सामूहिक प्रवेश परीक्षा में अथवा सरकार द्वारा विहित किसी अन्य ढंग द्वारा छात्र द्वारा प्राप्त मैरिट के आधार पर निजी तकनीकी शिक्षण संस्था द्वारा चलाए जा रहे तकनीकी पाठ्यक्रम में किया गया प्रवेश विनियमित करेगी;

(2) निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए।

(3) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में स्वीकृत भर्ती में से प्रबन्धन प्रवर्ग के लिए स्थानों का आबंटन कर सकती है।

(4) कोई निजी तकनीकी शिक्षण संस्था, -

(i) सामूहिक प्रवेश परीक्षा अथवा प्रक्रिया जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, के आधार पर खुली मैरिट प्रवर्ग के अधीन किसी तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश करेगी; तथा

(ii) ऐसे व्यक्तियों से, जिन्होंने अर्हता परीक्षा पास कर ली है प्रत्यक्षतः प्राप्त आवेदनों द्वारा तथा किसी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था या ऐसी संस्थाओं के तकनीकी पाठ्यक्रमों के प्रवर्ग या प्रवर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा विहित परस्पर मैरिट के अवधारण या किसी अन्य ढंग की पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने के बाद प्रबन्धन प्रवर्ग के अधीन स्थान के लिए प्रवेश कर सकती है।

(5) किसी छात्र को तकनीकी पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह राज्य सरकार द्वारा यथा विहित न्यूनतम अर्हक अंकों सहित पात्रता मानदण्ड पूर्ण नहीं करता है।

अमान्य प्रवेश।

14. किसी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रत्येक प्रवेश इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा तथा उनकी उल्लंघना में किया गया प्रत्येक प्रवेश अमान्य होगा।

स्थानों का आरक्षण।

15. राज्य सरकार, विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में स्थानों का आरक्षण करने के लिए निजी तकनीकी शिक्षण संस्था को समय-समय पर यथा विहित रीति में निदेश दे सकती है।

अध्याय IV

शुल्क नियतन

शुल्क

16. (1) प्रत्येक निजी तकनीकी शिक्षण संस्था, समिति द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर अलग से प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए इसकी शुल्क संरचना का प्रस्ताव करेगी तथा प्रस्तावित शुल्क संरचना समिति द्वारा परीक्षित, अनुमोदित तथा विनियमित की जाएगी तथा यह ऐसी संस्था पर बाध्य होगी।

(2) विभिन्न शुल्क संरचना विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए तथा विभिन्न संस्थाओं के लिए अवधारित की जाएगी।

(3) यदि कोई निजी तकनीकी शिक्षण संस्था अपनी शुल्क संरचना का प्रस्ताव नहीं करती है, तो समिति द्वारा यथा विनिश्चित अंनतिम शुल्क संरचना ऐसी संस्था को लागू होगी।

शुल्क अवधारण हेतु घटक।

17. (1) शुल्क इस प्रकार अवधारित किया जाएगा ताकि आवर्ती आधारों पर शिक्षा प्रदान करने की वास्तविक लागत वसूल की जा सके। शुल्क निर्धारण करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित खर्चों को भी हिसाब में लिया जाएगा, अर्थात् :-

(क) संकाय तथा समर्थित अमला की स्थापना लागत ;

(ख) परिचालन तथा रखरखाव प्रभार;

(ग) परिषद्, सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रभारित शुल्क;

(घ) विकास शुल्क निम्नलिखित प्रयोजनों की आपूर्ति के लिए होगा, अर्थात् :–

(i) अवसंरचना को तैयार करना तथा उन्नत करना;

(ii) संस्था का सुधार तथा विकास; तथा

(iii) छात्रों के लिए विशेष सुख–सुविधाएं;

(ङ) अन्य विविध प्रभार जैसे छात्रावास शुल्क, मेस प्रभार तथा परिवहन प्रभार इत्यादि:

परन्तु सेवाएं तथा सुविधाएं जैसे छात्रावास, मेस तथा परिवहन बिना लाभ हानि के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएंगी।

(2) शुल्क अवधारण से पूर्व, निजी तकनीकी शिक्षण संस्था, उसमें पहले से ही अध्ययन कर रहे छात्रों के माता–पिता या अभिभावकों तथा प्रतिनिधियों को शुल्क अवधारण के सम्बन्ध में लिखित में उनके दृष्टिकोण को व्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

प्रतिव्यक्ति शुल्क का प्रतिषेध।

18. कोई भी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था, ऐसी संस्था में किसी तकनीकी अध्ययन पाठ्यक्रम में उसके प्रवेश या बने रहने के प्रतिफल किसी छात्र अथवा उसके सम्बन्धी से इसकी ओर से प्रतिव्यक्ति शुल्क प्रभारित या संगृहीत नहीं करेगी या प्रभारित या संगृहीत नहीं करवाएगी।

अध्याय V

संस्था द्वारा लेखों का अनुरक्षण

लेखों का अनुरक्षण।

19. (1) प्रत्येक निजी तकनीकी शिक्षण संस्था, संगठन लाभ के लिए नहीं, अव्यवसायी संगठन को लागू लेखा सिद्धान्तों के आधार पर लेखे बनाए रखेगी अर्थात् यह लेखों के प्रोद्भवन आधार के अधीन "निधि आधारित लेखा" के लेखे रखेगी।

(2) निजी तकनीकी शिक्षण संस्था शिक्षा शुल्क की कुल राशि के पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक विकास शुल्क प्रभारित कर सकती है। विकास शुल्क पूंजी प्राप्ति के रूप में समझा जाएगा तथा केवल तभी संगृहीत किया जाएगा यदि संस्था भू–राजस्व लेखों में प्रभारित अवमूल्यन के बराबर "अवमूल्यन आरक्षण निधि" बनाए रखेगी।

(3) सोसाइटी, न्यास, संगठन, व्यक्तियों की संस्था, कम्पनी, फर्म या निजी तकनीकी शिक्षण संस्था के स्वामित्व वाली कोई विधिक अस्तित्व से, जैसी भी स्थिति हो, सोसाइटी, न्यास, संगठन, व्यक्तियों की संस्था, फर्म तथा संस्था के लिए

पृथक् लेखे बनाए रखने की अपेक्षा की जाएगी। यदि, सोसाइटी, न्यास, संगठन, व्यक्तियों की संस्था, कम्पनी, फर्म या निजी तकनीकी शिक्षण संस्था के स्वामित्व वाली कोई विधिक अस्तित्व, एक से अधिक संस्था चला रहा है, तो तब प्रत्येक संस्था के लिए पृथक् लेखे बनाए रखेगा।

अध्याय VI

विविध

अधिनियम का अध्यारोही प्रभावी होना।

20. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई इसमें असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अधिनियम के उपबन्धों की उल्लघना के लिए कार्रवाई।

21. (1) जहां महानिदेशक, किसी शिकायत के प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा, सम्यक् जांच के बाद सन्तुष्ट हो जाता है कि निजी तकनीकी शिक्षण संस्था ने समिति द्वारा अवधारित शुल्क से अधिक प्रतिव्यक्ति शुल्क या शुल्क प्रभारित किया है, तो वह–

(i) सम्बन्धित संस्था को समिति द्वारा अवधारित शुल्क से अधिक प्रभारित प्रतिव्यक्ति शुल्क तथा शुल्क, यथास्थिति, को वापस करने के लिए निदेश दे सकता है,

(ii) जहां परिषद्/राज्य सरकार के मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम से छात्र प्रत्याहरण करने की दशा में सम्बन्धित संस्था को शुल्क वापस करने के निदेश कर सकता है;

(iii) ऐसी संस्था के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार, सम्बद्ध विश्वविद्यालय या परिषद् या वैधानिक प्राधिकार को सिफारिश कर सकता है।

(2) कोई कार्रवाई करने या आदेश पारित करने से पूर्व, महानिदेशक निजी तकनीकी शिक्षण संस्था को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

जुर्माने का अधिरोपण।

22. (1) जहां महानिदेशक, किसी शिकायत की प्राप्ति पर या स्वप्रेरणा से, सम्यक् जांच के बाद, सन्तुष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का किसी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था ने उल्लंघन किया है या अतिक्रमण किया है, तो तब ऐसी संस्था पर पांच लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा तथा इस अधिनियम की प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमण के लिए दस लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, यदि उसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूलीयोग्य होगा।

(2) उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई करने या आदेश पारित करने से पूर्व, महानिदेशक ऐसी संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

अपील।

23. इस अधिनियम की धारा 21 या 22 के अधीन पारित किसी निदेश या आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति या निजी तकनीकी शिक्षण संस्था ऐसे आदेश या निदेश से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील दायर कर सकता है/सकती है।

24. किसी भी न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों द्वारा या के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य सरकार, महानिदेशक, समिति या इसके अधिकारियों द्वारा की गई कोई बात, की गई कोई कार्रवाई या जारी किया गया आदेश या निदेश के सम्बन्ध में किसी वाद या कार्यवाहियों को ग्रहण करने तथा विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी। अधिकारिता का वर्जन।

25. राज्य सरकार, इस अधिनियम, नियमों या इसके अधीन किये गये आदेशों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, जैसा वह ठीक समझे, किसी संस्था या समिति या समिति के मामलों से सम्बद्ध अधिकारी या कर्मचारी को समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों तथा संस्था या समिति या अधिकारी या कर्मचारी ऐसे निदेश द्वारा बाध्य होंगे। निदेश देने की शक्ति।

26. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

27. इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित होने वाले आदेश द्वारा जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, ऐसे उपबन्ध कर सकती है या ऐसे निदेश दे सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो : कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद ऐसा कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

28. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए हरियाणा राज्य या राज्य सरकार या समिति के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

29. इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से हरियाणा राज्य में अल्पसंख्यक संस्थाओं के सिवाय सभी निजी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश तथा शुल्क विनियमन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी सभी कार्यकारी अनुदेश अधिक्रांत हो जाएंगे : अधिक्रमण तथा व्यावृत्ति।

परन्तु ऐसे अधिक्रमण के होते हुए भी, अनुदेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी तथा तब तक लागू रहेगी जब तक इस अधिनियम के अधीन गठित समिति उन्हें उपान्तरित नहीं करती है।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2002 के 'टी०एम०ए० पाई व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य' में तथा 'ईस्लामिक एकेडमी ऑफ एजूकेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य' दिनांक 14.8.2003 मे पारित निर्णय में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं के दाखिले उचित एवं पारदर्शी होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा शुल्क ढांचा निर्धारित किया जाये जिससे निजी शैक्षणिक संस्थाएं अनुचित लाभ न ले सकें। ऐसा करते समय विद्यार्थियों के हितों व संस्थाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन दिशा निर्देशों की अनुपालना में निजी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश व शुल्क विनियमन के लिये राज्य में दिनांक 21.11.2003 को राज्य प्रवेश व शुल्क कमेटी का गठन किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 'टी०एम०ए० पाई के केस' में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2002 व 'पी०ए० ईनामदार केस' में पारित निर्णय दिनांक 12.8.2005 में ये निर्देश दिए गए हैं कि यह कमेटी तब तक कार्य करेगी जब तक राज्य में निजी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश व शुल्क विनियमन के सम्बन्ध में उचित अधिनियम नहीं बनाया जाता। इस कमेटी की अवधि दिनांक 17.9.2011 को समाप्त हो गई है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना में यह आवश्यक हो गया है कि हरियाणा राज्य में निजी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश व शुल्क विनियमन तथा शैक्षणिक मानकों के अनुरक्षण के लिये कानून बनाया जाये।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

महेन्द्र प्रताप सिंह,
तकनीकी शिक्षा मन्त्री, हरियाणा।

....

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
23 अगस्त, 2012.

सुमित कुमार,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा निजी तकनीकी शिक्षण संस्था (प्रवेश तथा शुल्क विनियमन) विधेयक, 2012 के खण्ड 22 अनुसार निजी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं पर जुर्माने का अधिरोपण बारे निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

जहां महानिदेशक, किसी शिकायत की प्राप्ति पर या स्वप्रेरणा से, सम्यक् जांच के बाद, सन्तुष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का किसी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था ने उल्लंघन किया है या अतिक्रमण किया है, तो तब ऐसी संस्था पर पांच लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा तथा इस अधिनियम की प्रत्येक पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए दस लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, यदि उसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलीयोग्य होगा।

जब केवल जुर्माने का अधिरोपण बारे प्रावधान किया गया है, खजानें में जमा होने वाली आय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

प्रत्यायोजित विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 26 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धित नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धित ज्ञापन सम्बन्धित है।

50239--H.V.S.--H.G.P., Chd